


S: NO 73

129

-निवृत्ती सं. एल. -33004/93

REGD. NO. D.I.-33004/93



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, मंगलवार, सितंबर 28, 1993/अविधान 6, 1915
No. 332] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1993/ASVINA 6, 1915

कार्यिक, लोक निकायत और पंचन मंत्रालय
(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 सितंबर, 1993

भा. का. नि. 630 (अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में फाइल किए जाने वाले अधिनियमों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अधिकारी को प्राधिकृत करना) नियम, 1992 को उन बातों के सिवाए अधिमान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, निम्नलिखित विषय बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संश्लेष नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संश्लेष नाम भारत सरकार (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में फाइल किए जाने वाले अधिनियमों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अधिकारी को प्राधिकृत करना) नियम, 1993 है।

2161 GI/93

(1)

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाता :—

(1) इन नियमों से उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उपधारा (i) के अधीन स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारण के समग्र भारत क्षेत्र के लिए और उसकी ओर से फाइल किए जाने वाले सभी अभिवचनों और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों को जो माथले के तथ्यों से परिचित हैं, ऐसे अभिवचनों को सत्यापित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

[नियम 2 (1) देखिए]

1. (i) भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग में कोई समूह 'क' अधिकारी;

(ii) भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग में कोई डेस्क अधिकारी।

2. भारत सरकार के किसी सैन्य-संचालनीय कार्यालय में कोई समूह 'क' अधिकारी।

[सं. ए.-11019/105/87-ए टी]

यू.एस. तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1993

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by article 77 of the Constitution and in supersession of the Government of India (Authorisation of officers for verification of pleadings and other documents to be filed in Central Administrative Tribunal) Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government of India (Authorisation of officers for verification of pleadings and other documents to be filed in the Central Administrative Tribunal) Rules, 1993.

[PART II—Sec. 3 (1)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Authorisation of officers.—(1) The officers specified in the Schedule annexed to these rules are hereby authorised to sign all pleadings and other documents to be filed for and on behalf of the Union of India, before the Central Administrative Tribunal established under sub-section (1) of Section 4 of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985).

(2) Such of the officers referred to in sub-rule (1) as are acquainted with the facts of the case are also authorised to verify such pleadings.

SCHEDULE

[See rule 2(1)]

1. (i) any Group 'A' Officer in any Ministry|Department of the Government of India;

(ii) any Desk Officer in any Ministry|Department of the Government of India;

2. Any Group 'A' Officer in any non-Secretariat office of the Government of India.

[F. No. A-11019/105/87-AT]

U. S. TIWARI, Under Secy.